भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4151

उत्तर देने की तारीख: 19.08.2025

गरिमा गृहों का कार्यान्वयन

4151. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गरिमा गृहों का राज्य-वार ब्यौरा और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कई राज्यों ने अभी तक ऐसे गृह स्थापित नहीं किए हैं और यदि हाँ, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में इन आश्रय गृहों में कुल कितने लोग रह रहे हैं और वहाँ किस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं;

(घ) स्माइल योजना के अंतर्गत इन आश्रय गृहों के लिए कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने उक्त गृहों के निवासियों को मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधी सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और क्या उन्हें सशक्त बनाने के लिए जिला स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): देश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा समर्थित गरिमा गृहों का राज्यवार ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

(ख): वर्तमान में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 18 गरिमा गृहों को सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 03 नए गरिमा गृह की स्थापना का अनुमोदन दिया गया है। गरिमा गृह स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसाइटी संगठनों की सूची 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई है, जिनकी सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है। 08 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से गरिमा गृह स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा समर्थित गरिमा गृहों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या 429 है।

गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन, चिकित्सा देखभाल, योग, ध्यान और मनोरंजन जैसी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करता है। इसके अलावा, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के क्षमता निर्माण/कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। गरिमा गृह के निवासियों को न केवल सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ सुरक्षित आवासीय क्षेत्र प्रदान किया जाता है, बल्कि उन्हें जीवन कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, ताकि जब वे आश्रय छोड़ें तो उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साथ मुख्यधारा में लाया जा सके। गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं तथा उन्हें अत्याचारों से बचाते हैं।

(घ): अब तक स्माइल योजना के अंतर्गत गरिमा गृहों द्वारा 8.25 करोड़ रुपये जारी और उपयोग किए जा चुके हैं।

(ङ): प्रत्येक गरिमा गृह में एक परामर्शदाता होता है जो गरिमा गृह में रहने वाले लाभार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श प्रदान करता है।

राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (टेली मानस) अक्टूबर, 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में चौबीसों घंटे मुफ्त टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित जरूरतमंद व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 24x7 हेल्पलाइन (14416) स्थापित की गई है।

राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच स्माइल योजना का प्रचार-प्रसार करते हैं तथा जागरूकता फैलाते हैं।

संलग्नक

गरिमा गृहों का कार्यान्वयन के संबंध में श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर द्वारा पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4151, जिसका उत्तर 19.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

देश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा समर्थित गरिमा गृहों का राज्यवार विवरण और कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	गरिमा गृहों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	असम	01
3.	बिहार	01
4.	छत्तीसगढ	01
5.	दिल्ली	01
6.	गुजरात	01
7.	कर्नाटक	01
8.	मध्य प्रदेश	01
9.	महाराष्ट्र	03
10.	ओडिशा	01
11.	पंजाब	01
12.	राजस्थान	01
13.	तमिलनाडु	01
14.	उत्तर प्रदेश	01
15.	पश्चिम बंगाल	02
	कुल	**18**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान झारखंड, मणिपुर और मध्य प्रदेश में नए गरिमा गृह को मंजूरी दी गई है।

*****